प्रेस नोट दिनांक-24.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार पाण्डेय चौकी सरैया तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/2021 धारा 429 भादवि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 5 ख गौवध अधिनियम के वाँछित अभियुक्त दिलीप शुक्ला पुत्र राधे मोहन शुक्ला निवासी गरगन पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार पाण्डेय चौकी सरैया
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार
3. आरक्षी शिवपाल

(ii). श्री अजय जायसवाल प्रभारी चौकी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 35/2021धारा 354/452/504/506 भा0द0वि0 व धारा 08 पोक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त शिवपाल पुत्र मातादीन नि0 ग्राम कन्ध्वनिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजय जायसवाल प्रभारी चौकी गनीवा
2. आरक्षी भूपेन्द्र कुमार
3. आरक्षी मानवेन्द्र कुमार

(2). जनपद चित्रकूट पीआरवी 4428 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनाँक 23/02/2021 को समय 15:11 बजे इवेंट संख्या 6291 द्वारा घटनास्थल मिशन रोड थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था । एक महिला ने पकड़ लिया है । इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक लड़की के साथ राहुल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली कर्वी ने छेड़छाड़ किया है । पीआरवी कर्मियों को देखकर आरोपी राहुल भागने लगा तो पीआरवी कर्मियों ने आरोपी राहुल को पकड़ लिया और पकड़ कर थाना कोतवाली कर्वी में सुपुर्द किया गया। थाना कोतवाली कर्वी में आरोपी राहुल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - आरक्षी गंगा चरन

पायलट – हो0गा0 अतुल कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन करने वाले जिला बदर अभियुक्त शारदा पुत्र राम मिलन निवासी शेखापुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 20/2021 धारा 10 यू0पी गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रानू रजक
3. आरक्षी यशराज सिंह

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 24.02.2021

को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा चिल्लीराकस बस स्टैण्ड व विद्यायलय के पास, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा एवं कसहाई रोड व शंकर बाजार में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा अस्पताल व कस्बा पहाड़ी में, एण्टी रोमियों टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बरगढ़ व कटैया डांडी रेलवे स्टेशन पर, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आर्यनगर, इंद्रानगर , मार्केट में भ्रमण किया गया । आदर्श इंटर कालेज के तिराह के पास भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी वहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री दीपनारायण तिवारी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 848/13 धारा 364/511 भादवि0 के नामित अभियुक्त अजय सोनी पुत्र बाबूलाल सोनी निवासी मुन्ना मुंगौरी वाले के पास गर्ग चौराहा कटना म0प्र0 हाल पता लोढ़वारा ब्लाक संख्या 63 मकान संख्या 745 थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अजय सोनी द्वारा दिनाँक 13.10.2013 को शाम लगभग 08.00 बजे वादी सादिक अली के 05 वर्षीय पुत्र साहिल अली को हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया था।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती राजरानी पत्नी पुष्पराज यादव निवासी मड़हा थाना बरगढ़ चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी सास, जेठ-जेठानी सब लोग मारते पीटते है गाली गलौज करते हैं एवं 5 लाख रुपये दहेज की मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनाँक 24.02.2021 को आपस में सुलह की गयी । सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गणेश कुमार गुप्ता तथा उ0नि0 श्री धन्नजय राय द्वारा अभियुक्त 1. राज गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता 2. राज रैकवार पुत्र बबलू रैकवार निवासीगण लैना बाबा रोड शिवरामपुर को 47 क्वार्टर देशी शराब के साथ भरतकूप मंदिर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।